11

"आदेश"

श्री रविराम पुत्र श्री ब्रजपाल निवासी 447 सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड परिसीमन की अनन्तिम अधिसूचना पर आपत्ति की गयी है कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के परिसीमन के दौरान बने कक्ष संख्या-10, 12 और 20 सिविल लाईन दक्षिणी पूर्व परिसीमन के दौरान सिविल लाईन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय थे इनको पूर्व की भाँति रखा जाये।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 29.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि आपत्तिकर्ता का अनुरोध सही पाया गया। आपत्ति में दिये गये वार्डों के पूर्व परिसीमन में कक्ष संख्या-10 सिविल लाईन दक्षिणी प्रथम, कक्ष संख्या-12 सिविल लाईन दक्षिणी द्वितीय और कक्ष सं0-20 सिविल लाईन दक्षिणी तृतीय थे, जिन्हें पूर्व की भाँति किया जाना औचित्यपूर्ण है, संस्तुति की जाती है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड संख्या-10 सिविल लाईन दक्षिणी प्रथम, वार्ड संख्या-12 सिविल लाईन दक्षिणी द्वितीय एवं वार्ड संख्या-20 सिविल लाईन दक्षिणी तृतीय तद्नुसार संशोधित किया जाता है।

1/5

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर